जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक-27.01.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवेलों से चोरी किया हुआ तार व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 23.01.2025 को वादी श्री ओमपाल पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ने अपने ही गाँव के कालूराम पुत्र जिले सिंह, ओमपाल पुत्र मंशी व उदयवीर पुत्र टीकाराम तथा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ऐरटी निवासी मदनपाल पुत्र शंभू व निरंजन शर्मा पुत्र धनप्रकाश की ट्यूबवेलों से अज्ञात चोरों द्वारा ट्यूबवैल से स्टार्टर, केबिल व अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चोरी की घटनाओं में लिप्त अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

दिनांक 26.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 चोरों को ट्यूबवेलों से चोरी किये गये तार व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.आरिफ पुत्र जहूर निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.कादिर पुत्र जमशेद निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आरिफ उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 44/24 धारा 379/411 भादवि0 थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास कादिर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 103/22 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 106/22 धारा 414 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 359/ 20 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 457/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.मु0अ0स0 531/20 धारा 2/3 गैंग अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.मु0अ0स0 1054 /18 धारा 147/323/336/504/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक प्लास्टिक के बोरे में 05 किग्रा0 तांबे का तार।

2.चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 01 पिकअप गांडी रजि0 UP19AT4896।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थानाभवन को दिये गये थे।

आज दिनांक 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वारंटी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल निर्देशन में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मौहम्मद उमर पुत्र निसार निवासी ग्रम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साइकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनांक 26.01.2025 को वादी श्री अमन पुत्र नबाव निवासी ग्राम बलवा गुजरान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ने अपनी मोटर साइकिल चोरी होने के सम्बन्ध में अज्ञात चोर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली ने उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.रचित उर्फ बादल पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम भाज्जू (पीठ बाजार) थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी की स्प्लैन्डर प्लस मोटर साइकिल रजि0न0-HR06F-7160।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत डरा धमकार पैसों की मांग करने, मारपीट करने व जानलेवा हमला करने के मामले में 01 हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 26.01.2025 को वादिया श्रीमति मुर्शीदा पत्नी स्व0 हारून निवासी मौहल्ला आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली ने अपने पुत्र अनस के साथ मस्जिद से नमाज पढ़ने के उपरान्त मस्जिद के बाहर निकलने पर हिस्ट्रीशीटर इनाम उर्फ धुरी पुत्र अफजल निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली ने अपने साथी हिस्ट्रीशीटर निजाम पुत्र सईद निवासी मौहल्ला गुज्जरवाड़ा देवबन्द जनपद सहारनपुर के साथ मिलकर पैसे न देने पर अनस के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने व जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली ने प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को घटना में लिप्त अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत डरा धमकार पैसों की मांग करने, मारपीट करने व जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा

व 01 खोखा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अन्य हिस्ट्रीशीटर निजाम की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इनाम उर्फ धुरी पुत्र अफजल निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इनाम उर्फ धुरी उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 189/2021 धारा 147,148,149,307,323,354,354(ख),406,427,452,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0190/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 614/2016 धारा 120-बी ,307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
4.मु0अ0सं0 659/2016 धारा 386,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
5.मु0अ0सं0 659/2016 धारा 386/506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली
6.मु0अ0सं0 688/2016 धारा 386 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
7.मु0अ0सं0 881/2017 धारा 147,148,323,452,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
8.मु0अ0सं0 1177/2019 धारा 135 विधुत अधिनियम थाना कोतवाली शामली थाना कैराना जनपद शामली।
9.मु0अ0सं0 0026/2012 धारा 110 जी द0प्र0स0 थाना कैराना जनपद शामली।
10.मु0अ0सं01005/2019 धारा 147,148,149,185,149,171F,185,186,302,307,323,353,427,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
11.मु0अ0सं 0274/2006 धारा 307,323,504,506 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
12.मु0अ0सं0 272/2006 धारा 147,148,149,307,452 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
13.मु0अ0सं0142ए/06 धारा 147,148,452,324,504 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
14.मु0अ0सं0 271/07 धारा 384 भादवि।
15.मु0अ0सं0 574/07 धारा 3 /4 गुण्डा अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध तमंचा मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अशोक कुमार पुत्र स्व0 जयपाल निवासी ग्राम बिरालियान थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना बाबरी/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.सुनील कुमार पुत्र बाबुराम कश्यप निवासी ग्राम भाज्जु थाना बाबरी जनपद शामली।

2.प्रमोद कुमार पुत्र माहर सिंह ग्राम जन्धेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

3.राजेन्द्र पुत्र फकीरा निवासी ग्राम अहमदगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 7000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2001 में अभियुक्त सुशील पुत्र महिपाल निवासी बलवा खेडी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 46/2001 धारा-406/379/411 भादवि0 पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 27.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि तक की सजा व 2500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2002 में अभियुक्त चान्दवीर पुत्र ईशवर निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 300/2002 धारा-379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.01.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2014 अभियुक्त आसिफ पुत्र हबीब निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 403/2014 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/सीजेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.सुशील पुत्र महिपाल निवासी बलवा खेडी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फनगर।

2.चान्दवीर पुत्र ईशवर निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.आसिफ पुत्र हबीब निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।